संख्याः- 494/5-9-2010-9(76)10

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ दिनांकः 01 अप्रैल 2010

विषयः नवजात शिशु की सुरक्षा हेतु प्रसव कक्ष में न्यूर्बोन केयर कॉर्नर की स्थापना एवं प्रसवोत्तर वार्ड में प्रचार–प्रसार व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005–2012 तक शिशु मुत्युदर में कमी ला कर 36 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर को प्राप्त करना है। कार्यक्रम आरम्भ होने के समय यह दर 73/1000 जीवित जन्म थी जो वर्तमान में एस0आर0एस0 2008 के अनुसार 67/1000 जीवित जन्म हो गयी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक स्तर पर सार्थक प्रयास करने होंगे। शिशु मुत्युदर में कमी लाने के लिये अभी तक जो प्रयास किये जा रहे हैं, वो निम्नवत हैं–
   - संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
   - स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को स्किल बर्थ अटेन्डन्ट (SBA) के रूप में प्रशिक्षित करना
   - समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम (सी0सी0एस0पी0) के द्वारा चिकित्सकों/एल.एच.वी./ए.एन.एम /आशा को प्रशिक्षित कर उनकी दक्षता में बढ़ोत्तरी करना।
   - प्रशिक्षित आशा द्वारा 3–6 बार धरेलू भ्रमण कर मॉ व नवजात की उचित देखभाल करना।
   - आशाओं को संजीवनी दवा किट उपलब्ध कराया जाना।
   - स्तनपान, एवं नवजात शिशु सप्ताह मना कर समुदाय में जागरूकता पैदा करना।
   - चयनित जनपदों में स्पेशल न्यूर्बोन केयर यूनिट (SNCU)की स्थापना किया जाना।
   - चिकित्सकों /स्टाफ नर्सों को 3 दिवसीय फेसिलिटीबेस्ड न्यूर्बोन केयर प्रशिक्षण दिया जाना।

   उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त इस वर्ष 2010–11 में प्रत्येक प्रसव कक्ष (Labour Room) में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रसव कक्ष में कार्यरत चिकित्सकों/स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 को नवजात की देखभाल के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु की देखभाल सम्बन्धी दिशा निर्देश (Protocol) चार्ट लगाये जायेंगे।

प्रत्येक **प्रसवोत्तर** वार्ड में प्रचार–प्रसार एवं शिशु देखभाल सम्बन्धी संन्देशों से पूर्ण फिल्में दिखाये जाने के लिये टेलीविजन एवं वी0सी0आर0 स्थापित किये जायेगे।

वार्डो में पोषण, टीकाकरण, आदि के पोस्टर व चार्ट लगवाये जायेगे।

2. स्थान का चयनः–

प्रत्येक जिला अस्पताल/ सामुदायिक स्वा0 केन्द्र /प्राथमिक स्वा0केन्द्र जहॉ प्रसव सुविधा उपलब्ध हैं, में न्यूर्बोन केयर कॉर्नर स्थापित किये जायेंगे। किसी भी प्रसव केन्द्र में यदि न्यूर्बोन केयर कॉनर नहीं हैं तो उसे सुरक्षित प्रसव केन्द्र का दर्जा नहीं दिया जायेगा।

प्रसव रूम में लगभग 30 वर्ग फुट के क्षेत्र में 4 फीट x 2½ फीट की एक मेज अथवा स्लैब की आवश्कता होगी जहॉ आवश्यक उपकरण होंगे एवं नवजात शिशु की विशेष देखभाल का स्थान होगा। जिसे न्यूबोर्न केयर कॉर्नर कहा जायेगा।

3. **सुविधायेंः–**

- नवजात शिशु का ठंड से बचाव (Prevention of Hypothermia)
- नवजात शिशु की श्वांस में गतिरोध का प्रबन्धन (Management of Asphyxia)
- नवजात शिशु का वज़न (Weighing of Neoborn)
- शीघ्र स्तनपान (Early initiation of Breast feeding) का प्रोत्साहन

4. उपकरण एवं व्यवस्थाः–

नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) वाले स्थान पर निम्न लिखित कियाशील उपकरण होंगे–

1- Radiant Warmer
2- Hand operated resuscitator (500 ml.)
3- Laryingoscope with neonatal blades
4- Weighing Scale- Baby (Pan type or Electonic Type)
5- Room Thermometer
6- Digital Thermometer
7- Mobile examination light / Torch
8- Mucus extractor
9- Foot operated suction Pump with suction tubes
10- Towels for drying and wrapping the baby
11- Sterile Gloves
12- IV Cannulas 24G,26G and Drip set
13- Feeding Tubes
14- Oxygen cylinder
15- Oxygen hood

16- Cotton wool, Gauze,
17- Neonatal Nasal Prong
18- Syringes- 1 ml,2ml,5ml,10ml.
19- Paediatric Chamber
20- Required emergency Medicine (Inj-Adrenaline, Ringer Lactate, Sodabicarb, 5%dextrose, Inj.Aminophyline, 10% Dextrose, Normal Saline,Inj.Hydrocortisone)

अनुमानतः जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वा0केन्द्र/प्राथमिक स्वा0केन्द्रों पर अधिकांश उपकरण उपलब्ध होंगे। यह भी सम्भव है कि किसी–किसी स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरण अधिक हों तो उनको स्थानीय स्तर पर यथा व्यवस्थित किया जाये। स्वास्थ्य इकाई पर में जिन उपकरणों की उपलब्धता न हो, उन्हें रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जाये।

5. प्रोटोकॉल :–

कॉर्नर वाले स्थान पर 2½ फीट x 1½ फीट पर दीवाल पर नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) पेन्ट द्वारा लिखा जाये।

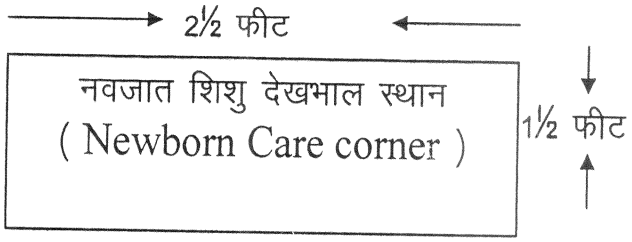

नवजात शिशु की देखभाल एवं उपचार हेतु प्रोटोकॉल चार्ट तैयार किये जा रहे हैं, जिन्हें कॉर्नर वाले स्थान पर दीवार पर लगवाया जाये।

6. प्रसवोत्तर वार्ड में ऑडियो–वीडियो व्यवस्थाः–

प्रत्येक जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वा0केन्द्र जहॉ प्रसव के उपरान्त प्रसूता को रुकने की समुचित व्यवस्था है वहॉ **प्रसवोत्तर वार्ड में** टेलीविज़न एवं वी0सी0आर0 की व्यवस्था, रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि से की जानी है। लाभार्थियों की सुविधा के अनुसार टेलीविजन के माध्यम से दिन में 1–2 घंटे प्रचार–प्रसार एवं ज्ञानवर्धक छोटी मनोरंजक फिल्में एवं संन्देश दिखाये जाने हैं। फिल्मों का चयन एवं समय के सम्बन्ध में ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं मैट्रन, प्रभारी अधिकारी के संज्ञान में ला कर प्रदर्शित करेंगे। जिसका रिकार्ड रखा जाना होगा।

केवल राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संन्देश व फिल्म ही प्रदर्शित की जायेंगी अथवा स्टेट हैल्थ व जिला स्वास्थ्य सोसाइटी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमोदित फिल्म प्रदर्शित की जा सकेगी।

7. स्टाफ प्रशिक्षणः–

नवजात शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निम्न प्रशिक्षण चलाये जा रहे है।

1. समेकित बाल संरक्षण {कम्प्रीहैन्सिव चाइल्ड सरवाइविल (CCSP)} का 10 दिवसीय प्रशिक्षण, ए0एन0एम0 एवं आशा के लिये।
2. चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों के लिये 11 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड आई.एम.एन.सी.आई. (F-IMNCI) प्रशिक्षण।
3. चिकित्सक/ स्टाफ नर्सों को फेसिलटी बेस्ड न्यूर्बोन केयर 3 दिवसीय प्रशिक्षण।
4. चिकित्सक/ स्टाफ नर्सों को नवजात शिशु सुरक्षा (NSSK) कार्यक्रम 2 दिवसीय प्रशिक्षण।

प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई में प्रसव सेवाओं को प्रदान करने तथा नवजात शिशु की देखभाल से सम्बन्धित चिकित्सक, स्टाफनर्स, बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

8. वित्तीय व्यवस्थाः–

आर0के0एस0 में उपलब्ध समेकित राशि जिसमें अनटाइड/ए0एम0जी0/ आर0के0एस0 ग्राण्ट तथा यूजर्स चार्जेस सममलित है में से कम से कम 10 प्रतिशत धनराशि इसी कार्य में अनिवार्य रूप से उपयोग की जाये।जो लगभग वार्षिक रूप से रू. 30–40 हजार होगी।

9. जिम्मेदारीः–

नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) स्थापित करने, कियाशील करने तथा सम्बन्धित स्टाफ को उपरोक्त में प्रशिक्षण दिलाये जाने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदरी जिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षक, अधीक्षिकाओं तथा सामुदायिक केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी की होगी।

10. अनुश्रवण :–

मण्डलीय अपर निदेशक व जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/ चिकित्सा अधीक्षक उक्त के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में उत्तरदायी होगे। सुनिश्चित किया जायेगा कि नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर (Newborn Care corner) स्थापित एवं कियाशील है एवं **प्रसवोत्तर वार्ड में** टेलीविज़न एवं वी0सी0आर0 की व्यवस्था कर ली गयी है तथा प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

11. आकस्मिकता एवं प्रबन्धन :–

- किसी आकस्मिक स्थिति में उपकरण कियाशील नहीं है तो तत्काल उसे ठीक कराया जाये अन्यथा पास की स्वास्थ्य इकाई से प्राप्त किया जाये।
- प्रशिक्षित स्टाफ छुट्टी पर है तो अन्य उपलब्ध स्टाफ को प्रशिक्षित करें एवं आवश्यकतानुसार पास की स्वास्थ्य इकाई से बुलाया जाये।

- बाल रोग विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है तो पास की स्वास्थ्य इकाई से बुलाया जाये। जिसके लिये वाहन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाये।
- विशेषज्ञों की सेवा हेतु दूरभाष तंत्र विकसित किया जाये। (आजकल अधिकांश के पास मोबाइल फोन उपलब्ध हैं)
- उपरोक्त की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये समुचित व्यवस्था तत्काल की जाये तथा चिकित्सालय के अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाये जाने की शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसके लिये सम्बन्धित स्टाफ को 4–5 दिन के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिला चिकित्सालय में बालरोग विशेषज्ञ के साथ प्रशिक्षण के लिये सम्बद्ध कर दक्ष बनाया जाये।

12. रिकार्ड एवं रिपोर्टस :–

रिकार्ड रखा जाये कि चिकित्सालय में कितने प्रसव हुये, कितने नवजात शिशुओं को आकस्मिक एवं गंभीर स्थितियों से बचाया गया। उपरोक्त सुविधा के उपरान्त कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुयी, किन कारणों से नवजात शिशु को नहीं बचाया जा सका, उक्त का विवरण रोगी की केस शीट में अंकित किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नवजात का वजन, स्तनपान सम्बन्धी सूचना, कोलोस्ट्रम के विषय में जानकारी को डिलीवरी रजिस्टर में अंकित की जाये। किसी भी जटिलता सम्बन्धी सूचना एवं कार्यवाही का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

भवदीय

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव

संख्याः–494/5-9-10 TC01-4-10 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शसन।
7. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
10. महानिदेशक, परिवार कल्याण ,परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
11. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
12. गार्ड फाइल चिकित्सा अनुभाग–9

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव